Jooe Mein Jeeta Huwa Maal (Hindi)

हफ़्तावार रिसाला : 210
WEEKLY BOOKLET : 210

अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه की किताब "ग़ीबत की तबाहकारियां" की एक क़िस्त़ मअ़ तरमीम व इज़ाफ़ा बनाम

जूए में जीता हुवा माल

सफ़ह़ात 21

- जूआ शैत़ानी काम है 05
- प्राइज़ बोन्ड की परची और प्रीमियम प्राइज़ बोन्ड 07
- मोबाइल मेसेजिज़ और जूआ 08
- सूद से बड़ा गुनाह कौन सा है ? 15

पेशकश :

अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ़ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ़ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़ज़मत और बुज़ुर्गी वाले। (مُسْتَطْرَف ج ١ ص ٤٠ دارالفكر بيروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत

13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

जूए में जीता हुवा माल

येह रिसाला **(जूए में जीता हुवा माल)**

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने **उर्दू** ज़बान में तह़रीर फ़रमाया है।

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और मक्तबतुल मदीना से शाएअ़ करवाया है। इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, ईमेइल या SMS) मुत्त़लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबित़ा : ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)
मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद1, गुजरात
MO. **98987 32611** • Email : **hind.printing92@gmail.com**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

येह मज़्मून "ग़ीबत की तबाह कारियां" सफ़्हा 175 ता 189, 206 ता 210 से लिया गया है।

जूए में जीता हुवा माल

दुआए अ़त्तार : या अल्लाह पाक ! जो कोई 20 सफ़्हात का रिसाला : **"जूए में जीता हुवा माल"** पढ़ या सुन ले उसे और उस की आने वाली नसलों को जूए की बिमारी से महफ़ूज़ फ़रमा कर रिज़्क़े ह़लाल पर क़नाअ़त इनायत फ़रमा और अपने सिवा किसी का मोह़ताज न कर।

اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

ह़ज़रते अ़ल्लामा **मज्दुद्दीन फ़ीरोज़आबादी** رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه से मन्क़ूल है : जब किसी मजलिस में (या'नी लोगों में) बैठो और कहो : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد तो **अल्लाह** पाक तुम पर एक फ़िरिश्ता मुक़र्रर फ़रमा देगा जो तुम को **ग़ीबत** से बाज़ रखेगा। और जब मजलिस से उठो तो कहो : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد तो फ़िरिश्ता लोगों को तुम्हारी **ग़ीबत** करने से बाज़ रखेगा। (اَلْقَوْلُ الْبَدِيع ص٢٧٨)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ग़ीबत करने वाला क़ाबिले रह़्म है

एक बुज़ुर्ग رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه से किसी ने कहा : फ़ुलां शख़्स आप की इस क़दर बुराई बयान करता है कि मुझे आप पर रह़्म आता है। फ़रमाया :

"क़ाबिले रह़्म तो वोह शख़्स ख़ुद है।" (تفسیر قرطبی 8/242)

سُبْحٰنَ اللہ ! हमारे बुज़ुर्गों का इख़्लास व अख़्लाक़ सद करोड़ मरह़बा ! इन की **सोच** की भी क्या बात है ! अपनी बे तह़ाशा बुराइयां करने वाले पर भी ग़ुस्सा नहीं आ रहा बल्कि दिल मुत़्मइन है कि मेरा अपना क्या जाता है ! **ग़ीबत** करने वाला ही नुक़्सान उठाता है और वोह नादान इन मा'नों में क़ाबिले रह़्म ही है कि अपनी नेकियां बरबाद कर रहा और गुनहगार हो कर अ़ज़ाबे नार का ह़क़्दार क़रार पा रहा है।

दर्दे सर हो या बुख़ार आए तड़प जाता हूं — मैं जहन्नम की सज़ा कैसे सहूंगा या रब !
अ़फ़्व कर और सदा के लिये राज़ी हो जा — गर करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब !

लूले लंगड़े की ग़ीबत

ताबेई बुज़ुर्ग **ह़ज़रते** सय्यिदुना मुआ़विया बिन क़ुर्रह رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : "अगर तुम्हारे पास से कोई लुन्जा (या'नी लूला या लंगड़ा) गुज़रे और तुम उस के लुन्जे पन के ऐ़ब का तज़्किरा करो तो येह भी **ग़ीबत** है।" (تفسیر در منثور، 7/571) मा'लूम हुवा कि किसी लुन्जे को भी बिला इजाज़ते शर्ई पीठ पीछे लुन्जा कहना **ग़ीबत** है इसी त़रह़ किसी को ❁ लंगड़ा ❁ गन्जा ❁ अन्धा ❁ काना ❁ लूला ❁ तुतला ❁ हक्ला ❁ गूंगा ❁ बहरा ❁ कुबड़ा वग़ैरा कहना भी **ग़ीबत** है।

जूए के कारोबार से तौबा

ग़ीबत करने सुनने की आ़दत निकालने, नमाज़ों और सुन्नतों पर अ़मल की आ़दत डालने के लिये **दा'वते इस्लामी** के मदनी माह़ोल से हर दम वाबस्ता रहिये, सुन्नतों की तरबियत के लिये **मदनी क़ाफ़िलों** में **आ़शिक़ाने रसूल** के साथ सुन्नतों भरा सफ़र कीजिये, काम्याब

ज़िन्दगी गुज़ारने और आख़िरत संवारने के लिये **नेक आ'माल** के मुताबिक़ अ़मल कर के रोज़ाना **जाएज़ा** के ज़रीए़ रिसाला पुर कीजिये और हर माह की पहली तारीख़ को अपने ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाइये । आप की तरग़ीब के लिये एक **मदनी बहार** गोश गुज़ार करता हूं चुनान्चे एक स्कूल टीचर ने कुछ इस त़रह़ ह़ल्फ़िया तह़रीर दी है कि एक स्कूल टीचर **तम्बोला** (एक क़िस्म का खेल जिस में पैसों का जूआ होता है) की दुकान चलाते थे । 2004 ई. में होने वाले आ़शिक़ाने रसूल की दीनी तह़रीक, **दा'वते इस्लामी** के तीन दिन के सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में इन्हें ख़ुश क़िस्मती से शिर्कत की सआ़दत मिल गई, आख़िर में जब दुआ़ हुई तो उन पर रिक़्क़त त़ारी हो गई । उन्हों ने साबिक़ा तमाम गुनाहों से तौबा करने के साथ साथ नमाज़े बा जमाअ़त पाबन्दी से अदा करने की निय्यत कर ली । اَلْحَمْدُ لِلّٰه इज्तिमाअ़ से वापस आते ही **तम्बोला** का काम यक्सर ख़त्म कर दिया, दाढ़ी शरीफ़ रख ली और स्कूल में दर्स भी जारी कर दिया और **दा'वते इस्लामी** के **मद्रसतुल मदीना** (बराए बालिग़ान) में क़ुरआने पाक पढ़ना शुरूअ़ कर दिया ।

जूआ ह़राम है

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! दा'वते इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमाआ़त की भी क्या बात है ! **अल्लाह** करीम की रह़मत से इन में शरीक होने वालों में से न जाने कितने ही दिलों में मदनी इन्क़िलाब बरपा हो जाता है, इन इज्तिमाआ़त में शिर्कत दोनों जहानों के लिये बाइ़से सआ़दत है । अभी आप ने **मदनी बहार** समाअ़त फ़रमाई इस में **तम्बोला** के कारोबार से **तौबा** का तज़्किरा है । **तम्बोला** "जूआ" ही

की एक सूरत है, **जूआ** में एक दूसरे का माले नाहक़ खाया जाता है जो कि शर्अ़न ह़राम है। **जूआ** खेलना, **जूआ** का अड्डा चलाना **जूए** के आलात बेचना ख़रीदना सब इस्लाम में ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं। अफ़्सोस ! आज कल मुसल्मानों में **जूआ** काफ़ी आ़म है, **जूआ** की ऐसी भी सूरतें हैं कि लोग ला इ़ल्मी की वज्ह से उन में मुब्तला हो जाते हैं। लिहाज़ा अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ **जूआ** के बारे में कुछ मा'लूमात ह़ासिल कर लीजिये।

जूआ खेलना गुनाह है

पारह 2 **सूरतुल बक़रह** की आयत नम्बर 219 में **अल्लाह** पाक इर्शाद फ़रमाता है :

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَ اِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तुम से शराब और जूए का हुक्म पूछते हैं तुम फ़रमा दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के कुछ दुन्यवी नफ़्अ़ भी और इन का गुनाह इन के नफ़्अ़ से बड़ा है।

ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ख़ज़ाइनुल इ़रफ़ान में इस आयते करीमा के तह़्त लिखते हैं : **जूए** में कभी मुफ़्त का माल हाथ आता है और गुनाहों और मफ़्सदों (या'नी ख़राबियों) का क्या शुमार ! अ़क़्ल का ज़वाल, ग़ैरत व ह़मिय्यत का ज़वाल, इ़बादात से मह़रूमी लोगों से अ़दावतें (या'नी दुश्मनियां) सब की नज़र में ख़्वार (या'नी ज़लील) होना दौलत व माल की इज़ाअ़त (या'नी बरबादी)। (ख़ज़ाइनुल इ़रफ़ान, स. 73)

जूआ शैत़ानी काम है

पारह 7 **सूरतुल माइदह** की आयत नम्बर 90 ता 91 में **अल्लाहु** रह़मान का फ़रमाने इ़ब्रत निशान है :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۹۰﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿۹۱﴾

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! शराब और जूआ और बुत और पांसे नापाक ही हैं शैत़ानी काम तो इन से बचते रहना कि तुम फ़लाह़ पाओ। शैत़ान येही चाहता है कि तुम में बैर और दुश्मनी डलवा दे शराब और जूए में और तुम्हें **अल्लाह** की याद और नमाज़ से रोके तो क्या तुम बाज़ आए ?

ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **ख़ज़ाइनुल इ़रफ़ान** में इस के तह़्त लिखते हैं : इस आयत में शराब और **जूए** के नताइज और वबाल बयान फ़रमाए गए कि शराब ख़ोरी और **जूए बाज़ी** का एक वबाल तो येह है कि इस से आपस में बुग़्ज़ और अ़दावतें पैदा होती हैं और जो इन बदियों (या'नी बुराइयों) में मुब्तला हो वोह ज़िक्रे इलाही और नमाज़ के अवक़ात की पाबन्दी से मह़रूम हो जाता है। (ख़ज़ाइनुल इ़रफ़ान, स. 236)

जूआ में जीता हुवा माल ह़राम है

पारह 2 **सूरतुल बक़रह** की आयत नम्बर 188 में इर्शादे रब्बुल इ़बाद होता है :

وَ لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
(پ2، البقرہ:188)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और आपस में एक दूसरे का माल नाह़क़ न खाओ।

हज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **ख़ज़ाइनुल इरफ़ान** में फ़रमाते हैं : इस आयत में बातिल तौर पर किसी का माल खाना **हराम** फ़रमाया गया ख़्वाह लूट कर या छीन कर या चोरी से या **जूए** से या हराम तमाशों या हराम कामों या हराम चीज़ों के बदले या रिश्वत या झूटी गवाही या चुग़ुल ख़ोरी से येह सब मम्नूअ़ व **हराम** है। (ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, स. 63)

गोया ख़िन्ज़ीर के ख़ून और गोश्त में हाथ डुबोया

सरकारे दो आ़लम, हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जिस ने नर्द शेर (जूआ खेलने का सामान) से **जूआ** खेला तो गोया उस ने अपना हाथ ख़िन्ज़ीर के गोश्त और ख़ून में डुबोया। (ابن ماجہ، 4/231، حدیث:3763)

जूए की दा'वत देने वाला कफ़्फ़ारे में सदक़ा करे

हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का इर्शादे इ़ब्रत बुन्याद है : जिस शख़्स ने अपने साथी से कहा : "आओ **जूआ** खेलें।" तो उस (कहने वाले) को चाहिये कि सदक़ा करे। (صحیح مسلم، ص692، حدیث:4260) हज़रते अ़ल्लामा यह्या बिन शरफ़ नववी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه इस ह़दीस की शर्ह़ में लिखते हैं : उ़लमा फ़रमाते हैं कि सरकार صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने सदक़ा करने का हुक्म इस लिये दिया है कि उस शख़्स ने गुनाह की दा'वत दी थी, हज़रते अ़ल्लामा ख़िताबी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ने कहा कि जितने पैसों का **जूआ** खेलने का कहा था उतने पैसों का सदक़ा करे मगर सह़ीह़ वोह है जो मुह़क़्क़िक़ीन ने कहा है और येही ह़दीसे पाक का ज़ाहिर है कि सदक़े की कोई मिक़्दार मुअ़य्यन नहीं, आसानी से जितना सदक़ा कर सके कर दे।

(شرح مسلم للنووی، 11/107)

मेरे आक़ा **आ'ला ह़ज़रत**, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُاللهِ عَلَيْه **फ़तावा रज़विय्या** जिल्द 19 सफ़ह़ा 646 पर फ़रमाते हैं : सूद और चोरी और ग़स्ब और **जूए** का रुपिया **क़त़्ई ह़राम** है। (फ़तावा रज़विय्या, जि. 19/646)

जूआ की ता'रीफ़

जूआ को अ़रबी में **क़िमार** कहते हैं इस की **ता'रीफ़** मुलाह़ज़ा फ़रमाइये : ह़ज़रते मीर सय्यिद शरीफ़ जुरजानी رَحْمَةُاللهِ عَلَيْه लिखते हैं : हर वोह खेल जिस में येह शर्त़ हो कि मग़्लूब (या'नी नाकाम होने वाले) की कोई चीज़ ग़ालिब (या'नी काम्याब होने वाले) को दी जाएगी येह "**क़िमार**" (या'नी जूआ) है। (التعریفات،126)

जूए की 6 सूरतें

ऐ आ़शिक़ाने रसूल ! आज कल दुन्या में **जूए** के नित नए त़रीक़े राइज हैं, इन में से 6 येह हैं :

﴾1﴿ लॉटरी

इस त़रीक़ए कार में लाखों करोड़ों रुपै के इन्आ़मात का लालच दे कर लाखों टिकट मा'मूली रक़म के बदले फ़रोख़्त किये जाते हैं फिर क़ुरआ़ अन्दाज़ी के ज़रीए़ काम्याब होने वालों में चन्द लाख या चन्द करोड़ रुपै तक़्सीम कर दिये जाते हैं जब कि बक़िय्या अफ़राद की रक़म डूब जाती है, येह भी जूआ ही की एक सूरत है जो कि ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

﴾2﴿ प्राइज़ बॉन्ड की परची

हुकूमतें मुख़्तलिफ़ क़ीमतों के इन्आ़मी बॉन्ड्ज़ बैंक के ज़रीए़ जारी करती है और शेडोल के मुत़ाबिक़ हर महीने क़ुरआ़ अन्दाज़ी

(LOTTERY) के ज़रीए लाखों रुपै के इन्आ़मात ख़रीदारों में तक़्सीम करती है, जिस का इन्आ़म नहीं निकलता उस की भी रक़म महफ़ूज़ रहती है वोह उसे जब चाहे कैश करवा सकता है, येह जाइज़ है और जूए में दाख़िल नहीं । अल्बत्ता चंद किस्मों के प्राइज़ बॉन्ड्ज़ ऐसे हैं जिन्हें "प्रिमियम प्राइज़ बॉन्ड्" कहा जाता है, इन पर यक़ीनी तौ़र पर नफ़्अ़ मिलता है, येह सूद है और इन की ख़रीदो फ़रोख़्त और नफ़्अ़ शर्अ़न जाइज़ नहीं । (बा'ज़ अवक़ात येह भी होता है कि जिन प्राइज़ बॉन्डज़ का लेन देन और और उन पर इन्आ़म की सूरत जाइज़ होती है, उन के मुतअ़ल्लिक़ पॉलीसी तबदील हो जाती है या उन में भी कोई ग़ैर शर्ई मुआ़मला शामिल कर दिया जाता है, ऐसी सूरत में उस वक़्त की पॉलीसी के मुताबिक़ हुक्मे शर्ई होगा । ऐसे मोक़अ़ पर शर्ई रहनुमाई के लिये "दा'वते इस्लामी के दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत" से राबिता़ कीजिये) याद रहे ! इन्आ़मी बॉन्ड्ज़ की परचियों की ख़रीद व फ़रोख़्त, ग़ैर क़ानूनी ना जाइज़ व ह़राम है क्यूं कि बेचने वाला हुकूमत की त़रफ़ से जारी कर्दा प्राइज़ बॉन्ड्ज़ अपने ही पास रखता है (बल्कि बा'ज़ अवक़ात तो प्राइज़ बॉन्ड्ज़ भी बेचने वाले के पास नहीं होते) परची बेचने वाला ख़रीदार को क़लील (या'नी थोड़ी) रक़म के बदले परची पर सिर्फ़ एक नम्बर लिख कर दे देता है कि अगर इस नम्बर पर इन्आ़म निकल आया तो मैं तुम्हें इतनी रक़म दूंगा। इन्आ़मी परची का येह काम भी **जूआ** है क्यूं कि इस में इन्आ़म न निकलने की सूरत में ख़रीदार की रक़म डूब जाती है ।

﴾3﴿ मोबाइल मेसेजिज़ और जूआ

मोबाइल पर मुख़्तलिफ़ सुवालात पर मब्नी मेसेजिज़

(MESSAGES) भेजे जाते हैं जिस में मसलन कौन सी टीम मैच जीतेगी ? या हिन्दुस्तान किस दिन आज़ाद हुवा था ? दुरुस्त जवाब देने वालों के लिये मुख़्तलिफ़ इन्आ़मात रखे जाते हैं, शिर्कत करने वाले के "मोबाइल बैलेन्स" से क़लील रक़म मसलन दस रुपै कट जाती है, जिन का इन्आ़म नहीं निकलता उन की रक़म ज़ाएअ़ हो जाती है, येह भी **जूआ** है जो कि ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

﴾4﴿ मुअ़म्मा

इस में एक या एक से ज़ियादा सुवालात ह़ल करने के लिये दिये जाते हैं जिस का ह़ल मुन्तज़िमीन की मरज़ी के मुत़ाबिक़ निकल आए उसे इन्आ़म दिया जाता है, इन्आ़मात की ता'दाद तीन या चार या इस से ज़ाइद भी होती है। लिहाज़ा दुरुस्त ह़ल ज़ियादा ता'दाद में निकलें तो क़ुरआ़ अन्दाज़ी के ज़रीए़ फ़ैसला होता है। इस खेल में बहुत सारे अफ़्राद शरीक होते हैं, उन की शिर्कत दो त़रह़ से होती है : (1) मुफ़्त (2) मा'मूली फ़ीस दे कर, अगर शुरका से किसी क़िस्म की फ़ीस न ली जाए तो और कोई मानेए़ शर्ई न होने की सूरत में उस इन्आ़म का लेना जाइज़ है। जिस में शुरका से फ़ीस ली जाती है उस में इन्आ़म मिले या न मिले रक़म डूब जाती है, येह सूरत **जूआ** की है जो कि ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

﴾5﴿ पैसे जम्अ़ कर के क़ुरआ़ अन्दाज़ी करना

बा'ज़ अफ़्राद या दोस्त आपस में थोड़ी थोड़ी रक़म जम्अ़ कर के क़ुरआ़ अन्दाज़ी करते हैं कि जिस का नाम निकला सारी रक़म उस को मिलेगी, येह भी **जूआ** है क्यूं कि **बक़िय्या** अफ़्राद की रक़म डूब

जाती है। इसी त़रह़ बा'ज़ अवक़ात पैसे जम्अ़ कर के कोई किताब या दूसरी चीज़ ख़रीदी जाती है कि जिस का नाम क़ुरआ़ अन्दाज़ी में निकल आया उसे येह किताब दे दी जाएगी येह भी **जूआ** ही है। याद रहे कि बा'ज़ कम्पनियां अपनी मस्नूआ़त ख़रीदने वालों को क़ुरआ़ अन्दाज़ी कर के इन्आ़मात देती है येह जाइज़ है क्यूं कि इस में किसी की भी रक़म नहीं डूबती।

﴾6﴿ मुख़्तलिफ़ खेलों में शर्त़ लगाना

हमारे यहां मुख़्तलिफ़ खेल मसलन घुड़दौड़, क्रिकेट, केरम, बिलयर्ड, ताश, शत़रन्ज वग़ैरा दो त़रफ़ा शर्त़ लगा कर खेले जाते हैं कि हारने वाला जीतने वाले को उतनी रक़म या फ़ुलां चीज़ देगा येह भी **जूआ** है और ना जाइज़ व ह़राम। केरम और बिलयर्ड क्लब वग़ैरा में खेलते वक़्त उ़मूमन येह शर्त़ रखी जाती है कि क्लब के मालिक की फ़ीस हारने वाला अदा करेगा, येह भी **जूआ** है। बा'ज़ "नादान" घरों में मुख़्तलिफ़ खेलों मसलन ताश या लूडो पर दो त़रफ़ा शर्त़ लगा कर खेलते हैं और कम इ़ल्मी के बाइ़स इस में कोई ह़रज नहीं समझते वोह भी संभल जाएं कि येह भी **जूआ** है और **जूआ** ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

जूए से तौबा का त़रीक़ा

जूआ खेलने वाला अगर नादिम हुवा तो उस को चाहिये कि बारगाहे इलाही में **सच्ची तौबा** करे मगर जो कुछ माल जीता है वोह ब दस्तूर ह़राम ही रहेगा इस ज़िम्न में रहनुमाई करते हुए मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह **इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : "जिस क़दर माल **जूए** में कमाया मह़ज़ **ह़राम** है। और इस से बराअत (या'नी नजात) की येही सूरत है कि जिस जिस

से जितना जितना माल **जीता** है उसे वापस दे, या जैसे बने उसे राज़ी कर के मुआ़फ़ करा ले। वोह न हो तो उस के वारिसों को वापस दे, या उन में जो आ़क़िल बालिग़ हों उन का हि़स्सा उन की रिज़ा मन्दी से मुआ़फ़ करा ले। बाक़ियों का हि़स्सा ज़रूर उन्हें दे कि इस की मुआ़फ़ी मुम्किन नहीं, और जिन लोगों का पता किसी त़रह़ न चले, न उन का, न उन के वुरसा का, उन से जिस क़दर **जीता** था उन की निय्यत से ख़ैरात कर दे, अगर्चे (ख़ुद) अपने (ही) मोह़ताज बहन भाइयों, भतीजों, भान्जों को दे दे।" आगे चल कर मज़ीद फ़रमाते हैं : ग़रज़ जहां जहां जिस क़दर याद हो सके कि इतना माल फ़ुलां से हार जीत में ज़ियादा पड़ा था, उतना तो उन्हें या उन के वारिसों को दे, येह न हों तो उन की निय्यत से तसद्दुक़ (या'नी सदक़ा) करे, और ज़ियादा पड़ने के येह मा'ना कि मसलन एक शख़्स से दस बार जूआ खेला कभी येह जीता कभी येह, उस (या'नी सामने वाले जूआरी) के जीतने की (रक़म की) मिक़्दार मसलन सो रुपै को पहुंची, और येह (ख़ुद) सब दफ़्आ़ के मिला कर सवा सो जीता, तो सो सो बराबर हो गए, **पच्चीस** उस (या'नी सामने वाले जूआरी) के देने रहे। इतने ही उसे वापस दे। وَعَلٰی هٰذَا الْقِیَاس (या'नी और इसी पर क़ियास कर लीजिये) और जहां याद न आए कि (जूआ खेलने वाले) कौन कौन लोग थे और कितना (माल जूए में जीत) लिया, वहां ज़ियादा से ज़ियादा (मिक़्दार का) तख़्मीना (या'नी अन्दाज़ा) लगाए कि इस तमाम मुद्दत में किस क़दर माल **जूए** से कमाया होगा उतना मालिकों (या'नी उन ना मा'लूम जूआरियों) की निय्यत से ख़ैरात कर दे, आ़क़िबत यूंही पाक होगी। وَاللّٰهُ اَعْلَم۔ (फ़तावा रज़विय्या, जि. 19, स. 651)

फ़ौत शुदा की बुराई करना भी ग़ीबत है

हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ फ़रमाते हैं : माइज़ अस्लमी رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को जब रज्म किया गया था, (या'नी ज़िना की "हद" में इतने पथ्थर मारे गए कि वफ़ात पा चुके थे) दो शख़्स आपस में बातें करने लगे, एक ने दूसरे से कहा : उसे तो देखो कि **अल्लाह** पाक ने उस की पर्दा पोशी की थी मगर उस के नफ़्स ने न छोड़ा, رُجِمَ رَجْمَ الْکَلْبِ या'नी **कुत्ते की त़रह़ रज्म किया गया।** हुज़ूरे पुरनूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने सुन कर सुकूत फ़रमाया (या'नी ख़ामोश रहे)। कुछ देर तक चलते रहे, रास्ते में मरा हुवा गधा मिला जो पाउं फैलाए हुए था। **सरकारे वाला तबार,** मदीने के ताजदार صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने उन दोनों शख़्सों से फ़रमाया : जाओ उस मुर्दार गधे का गोश्त खाओ। उन्हों ने अ़र्ज़ की : **या नबिय्यल्लाह** ! इसे कौन खाएगा ? इर्शाद फ़रमाया : वोह जो तुम ने अपने भाई की आबरू रेज़ी की, वोह इस गधे के खाने से भी ज़ियादा सख़्त है। क़सम है उस की जिस के हाथ में मेरी जान है ! वोह (या'नी माइज़) इस वक़्त जन्नत की नहरों में ग़ोते लगा रहा है। (ابوداود،4/197،حدیث:4428)

फ़ुलां ने ख़ुदकुशी कर ली येह कहना ग़ीबत है

मा'लूम हुवा फ़ौत शुदा लोगों की बुराई करना भी **ग़ीबत** है। बा'ज़ अवक़ात बड़ा सब्र आज़्मा मुआ़मला होता है। मसलन डाकू, दहशत गर्द, अपने अ़ज़ीज़ के क़ातिल वग़ैरा क़त्ल कर दिये जाएं या उन्हें फांसी लगा दी जाए तो बा'ज़ अवक़ात लोग **ग़ीबत** के गुनाह में पड़ ही जाते हैं। इसी त़रह़ **ख़ुदकुशी** करने वाले मुसल्मान के बारे में बिला

इजाज़ते शर्ई येह कह देना कि "फ़ुलां ने ख़ुदकुशी की" येह **ग़ीबत** है यूं ही नाम व पहचान के साथ किसी मुसल्मान की **ख़ुदकुशी** की **अख़्बार** में ख़बर भी न लगाई जाए कि इस से मरने वाले की **ग़ीबत** भी होती और इस के साथ साथ मर्हूम के अहलो अ़याल की इ़ज़्ज़त पर भी बट्टा लगता है। हां इस अन्दाज़ में तज़्किरा किया कि पढ़ने या सुनने वाले **ख़ुदकुशी** करने वाले को पहचान ही न पाए कि वोह कौन था तो ह़रज नहीं मगर येह ज़ेह्न में रहे कि नाम न लिया मगर गाउं, मह़ल्ला, बिरादरी, अवक़ात, **ख़ुदकुशी** का अन्दाज़ वग़ैरा बयान करने से **ख़ुदकुशी** करने वाले की शनाख़्त मुम्किन है लिहाज़ा पहचान हो जाए इस अन्दाज़ में तज़्किरा भी **ग़ीबत** में शुमार होगा। मस्अला येह है कि मुसल्मान **ख़ुदकुशी** करने से इस्लाम से ख़ारिज नहीं हो जाता इस की **नमाज़े जनाज़ा** भी अदा की जाएगी, इस के लिये **दुआए मग़्फ़िरत** भी करेंगे, मरने वाले मुसल्मान को बुराई से याद करने की शरीअ़त में इजाज़त नहीं। इस ज़िम्न में **दो फ़रामीने मुस्त़फ़ा** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم मुलाह़ज़ा हों : ﴾1﴿ अपने मुर्दों को बुरा न कहो क्यूं कि वोह अपने आगे भेजे हुए आ'माल को पहुंच चुके हैं। (بخاری، 1/470، حدیث:1393) ﴾2﴿ अपने मुर्दों की ख़ूबियां बयान करो और उन की बुराइयों से बाज़ रहो। (ترمذی، 2/312، حدیث:1021) ह़ज़रते अ़ल्लामा मुह़म्मद अ़ब्दुर्रऊफ़ मुनावी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه लिखते हैं : **मुर्दे** की ग़ीबत ज़िन्दे की ग़ीबत से बदतर है, क्यूं कि ज़िन्दा शख़्स से **मुआ़फ़** करवाना मुम्किन है जब कि मुर्दा से मुआ़फ़ करवाना मुम्किन नहीं। (فیض القدیر، 1/562، تحت الحدیث:852)

ग़स्साल मुर्दे की बुराई बयान न करे

आ़शिक़ाने रसूल की दीनी तह़रीक दा'वते इस्लामी के **मक्तबतुल मदीना** की किताब, "**बहारे शरीअ़त**" जिल्द अव्वल सफ़ह़ा 811 पर है : (मय्यित को ग़ुस्ल देते वक़्त) जो अच्छी बात देखे मसलन चेहरा **चमक** उठा या मय्यित के बदन से **ख़ुश्बू** आई, तो उसे लोगों के सामने बयान करे और कोई बुरी बात देखी, मसलन चेहरे का रंग सियाह हो गया या बदबू आई या सूरत व आ'ज़ा में तग़य्युर आया तो उसे किसी से न कहे और ऐसी बात कहना जाइज़ भी नहीं कि ह़दीस में इर्शाद हुवा : "अपने मुर्दों की ख़ूबियां ज़िक्र करो और उस की बुराइयों से बाज़ रहो ।"

मरने के बा'द बुलन्द आवाज़ से कलिमा पढ़ा !

अगर किसी मुसल्मान ने मरते वक़्त ब ज़ाहिर कलिमा न पढ़ा और किसी ने कहा कि "इस को **कलिमा** नसीब नहीं हुवा" उस ने इस मरने वाले की **ग़ीबत** की, इस ज़िम्न में एक ईमान अफ़रोज़ **ह़िकायत** मुलाह़ज़ा फ़रमाइये चुनान्चे **ह़ज़रते** अ़ल्लामा अ़ब्दुल ह़य्य लख्नवी رَحْمَةُاللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : मेरे बुज़ुर्गों में एक **वलिय्युल्लाह** या'नी मौलाना मुह़म्मद इज़्हारुल ह़क़ लख्नवी رَحْمَةُاللهِ عَلَيْه ने इन्तिक़ाल किया और मरते वक़्त उन की ज़बान से **कलिमा** न निकला, लोगों ने उन पर चादर डाल दी और तज्हीज़ो तक्फ़ीन का इन्तिज़ाम किया, जब सब लोग बाहर निकले तो बा'ज़ों ने बत़ौर त़ा'न के कहा कि ज़ाहिर में निहायत मुत्तक़ी थे और मरते वक़्त ज़बान से **कलिमा** भी न निकला, इस बात से तमाम ह़ाज़िरीन को रन्ज हुवा, इतने में मौलाना मर्ह़ूम ने दोनों पाउं को समेटा

और ब आवाज़े बुलन्द **कलिमा** पढ़ा, जब लोगों के कानों में आवाज़ पहुंची तो त़ा'न करने वालों को लोगों ने मत़्ऊ़न किया (या'नी बुरा भला कहा) । (ग़ीबत क्या है, स. 19)

मरे हुए काफ़िर की ग़ीबत

शारेह़ बुख़ारी मुफ़्ती शरीफ़ुल ह़क़ अमजदी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه लिखते हैं : कुफ़्फ़ार की बुराई बयान करनी जाइज़ है अगर्चे वोह मर गए हों अलबत्ता अगर मरने वाले कुफ़्फ़ार के अहलो अ़याल मुसल्मान हों और उन के काफ़िर मां बाप, उसूल (या'नी दादा वग़ैरा) की बुराई करने से उन्हें ईज़ा पहुंचे तो इस से बचना ज़रूरी है कि अब येह **ईज़ाए मुस्लिम** है और मुसल्मान को ईज़ा देना जाइज़ नहीं । (नुज़्हतुल क़ारी, 2/886)

शहा मंडला रही है मौत सर पर फिर भी मेरा नफ़्स

गुनाहों की त़रफ़ हर दम है माइल या रसूलल्लाह

सूद से बड़ा गुनाह कौन सा है ?

हमारे प्यारे प्यारे आ़क़ा मदीने वाले मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان से दरयाफ़्त फ़रमाया : क्या तुम जानते हो कि **अल्लाह** पाक के नज़्दीक **सूद** से बड़ा गुनाह कौन सा है ? सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने अ़र्ज़ की : اَللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ या'नी **अल्लाह** पाक और उस का रसूल صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم बेहतर जानते हैं । फ़रमाया : बेशक **अल्लाह** पाक के नज़्दीक सूद से बढ़ कर गुनाह है मुसल्मान की इ़ज़्ज़त को ह़लाल समझना । फिर रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने येह आयते करीमा तिलावत फ़रमाई :

وَالَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِیْنًا ﴿۵۸﴾ (پ22،الاحزاب:58)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो ईमान वाले मर्दों और औ़रतों को बे किये सताते हैं उन्हों ने बोहतान और खुला गुनाह अपने सर लिया।

(شعب الایمان،5/298،حدیث:6711)

ऐ आ़शिक़ाने रसूल ! यक़ीनन मुसल्मान की **इ़ज़्ज़त पर** हाथ डालना सूद जैसे गुनाहे बद से भी बद तरीन है। इस ज़िम्न में मज़ीद **तीन फ़रामीने मुस्त़फ़ा** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم मुलाह़ज़ा फ़रमाइये :

मुसल्मान की इ़ज़्ज़त पर हाथ डालना सूद से बड़ा गुनाह है

﴾1﴿ आदमी को मिलने वाला सूद का एक **दिरहम अल्लाह** करीम के नज़्दीक छत्तीस (36) बार ज़िना करने से ज़ियादा बुरा है और बेशक सूद से बढ़ कर गुनाह किसी मुसल्मान की बे इ़ज़्ज़ती करना है।

(ذم الغیبۃ،لابن ابی الدنیا،ص80،حدیث:36)

﴾2﴿ सूद बहत्तर (72) गुनाहों का मज्मूआ़ है और इन में से अदना तरीन अपनी मां से ज़िना करने की त़रह़ है और बेशक सूद से बढ़ कर गुनाह किसी मुसल्मान की **बे इ़ज़्ज़ती** करना है। (معجم اوسط،5/227،حدیث:7151)

﴾3﴿ बद तरीन सूद मुसल्मान की आबरू में नाह़क़ दस्त दराज़ी है।

(ابوداود،4/353،حدیث:4876)

ह़दीसे पाक नम्बर 3 के तह़्त **मुफ़स्सिरे** शहीर **ह़कीमुल उम्मत** ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : या'नी सूदख़्वारी बद तरीन गुनाह है जैसे मां के साथ का'बए मुअ़ज़्ज़मा में ज़िना करना, सूदख़्वार को **अल्लाह रसूल** से जंग करने का अल्टी मेटम दिया गया है,

येह तो **माली सूद** का ह़ाल है, **मुसल्मान की आबरू** चूंकि माल से ज़ियादा अ़ज़ीज़ और क़ीमती है इसी लिये मुसल्मान की आबरू रेज़ी (ग़ीबत वग़ैरा कर के), इसे ज़लील करना **बद तरीन सूद** क़रार दिया गया।

(मिरआत, 6/618)

बिल्यक़ीं ऐसे मुसल्मां हैं बड़े ही नादां अहले इस्लाम की ग़ीबत जो किया करते हैं
जो हैं सुल्ताने मदीना के ह़क़ीक़ी आ़शिक़ ग़ीबतो चुग़लियो तोहमत से बचा करते हैं

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ علٰی مُحَمَّد
تُوبُوا اِلَی اللّٰہ! اَسْتَغْفِرُاللّٰہ
صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ علٰی مُحَمَّد

मुसल्मान की इ़ज़्ज़त की ह़िफ़ाज़त का सवाब

ऐ आ़शिक़ाने रसूल ! आप के सामने जब भी कोई आदमी किसी इस्लामी भाई की ख़त़ा या उस के ऐ़ब का तज़्किरा उस की मौजूदगी में या पसे पुश्त (या'नी पीठ पीछे) शुरूअ़ करे तो सुनने में अगर कोई मस्लह़ते शर्ई न हो तो फ़ौरन **एह़तिरामे मुस्लिम** का लिह़ाज़ करते हुए सवाबे आख़िरत कमाने की निय्यत से अपने इस्लामी भाई की **इ़ज़्ज़त** की ह़िफ़ाज़त कीजिये। सरकारे दो जहां शहन्शाहे कौनो मकां صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का फ़रमाने आ़फ़िय्यत निशान है : जो अपने (मुसल्मान) भाई की पीठ पीछे उस की इ़ज़्ज़त का तह़फ़्फ़ुज़ करे तो **अल्लाह** पाक के ज़िम्मए करम पर है कि वोह उसे **जहन्नम** से आज़ाद कर दे।

(مسند امام احمد، 10/445، حدیث:27680)

ह़ज़रते सय्यिदुना अनस رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से मरवी है कि हुज़ूर नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जिस ने दुन्या में

अपने भाई की इ़ज़्ज़त की हि़फ़ाज़त की, **अल्लाह** पाक क़ियामत के दिन एक फ़िरिश्ता भेजेगा जो जहन्नम से उस की हि़फ़ाज़त फ़रमाएगा।

(ذم الغیبۃ لابن ابی الدنیا،ص131،حدیث:105)

ग़ीबत से रोकने के चार फ़ज़ाइल

मुसल्मान की **ग़ीबत** करने वाले को रोकने की क़ुदरत होने की सूरत में रोक देना वाजिब है, रोकना सवाबे अ़ज़ीम और न रोकना बाइ़से अ़ज़ाबे अलीम (या'नी दर्दनाक अ़ज़ाब का बाइ़स) है इस ज़िम्न में **चार फ़रामीने मुस्त़फ़ा** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم मुलाह़ज़ा फ़रमाइये :

﴾1﴿ जिस के सामने उस के मुसल्मान भाई की **ग़ीबत** की जाए और वोह उस की मदद पर क़ादिर हो और मदद करे, **अल्लाह** पाक दुन्या और आख़िरत में उस की मदद करेगा और अगर बा वुजूदे क़ुदरत उस की मदद नहीं की तो **अल्लाह** पाक दुन्या और आख़िरत में उसे पकड़ेगा।

(مصنف عبد الرزاق،10/188،رقم:20426)

﴾2﴿ जो शख़्स अपने भाई के गोश्त से उस की **ग़ैबत** (अ़दम मौजूदगी) में रोके (या'नी मुसल्मान की **ग़ीबत** की जा रही थी इस ने रोका) तो **अल्लाह** पाक पर ह़क़ है कि उसे जहन्नम से आज़ाद कर दे। (مشکاۃ،3/70،حدیث:4981)

﴾3﴿ जो मुसल्मान अपने भाई की आबरू से रोके (या'नी किसी मुस्लिम की आबरू रेज़ी होती थी उस ने मन्अ़ किया) तो **अल्लाह** पाक पर ह़क़ है कि क़ियामत के दिन उस को जहन्नम की आग से बचाए। इस के बा'द इस आयत की तिलावत फ़रमाई : ﴿وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ "**तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और हमारे ज़िम्मए करम पर है मुसल्मानों की मदद फ़रमाना।" (پ21،الروم:47) (شرح السنۃ،6/494،حدیث:3422)

﴾4﴿ जहां मर्दे मुस्लिम की हत्के हुरमत (या'नी बे इ़ज़्ज़ती) की जाती हो और उस की आबरू रेज़ी की जाती हो ऐसी जगह जिस ने उस की मदद न की (या'नी येह ख़ामोश सुनता रहा और उन को मन्अ़ न किया) तो **अल्लाह** पाक उस की मदद नहीं करेगा जहां इसे पसन्द हो कि मदद की जाए और जो शख़्स मर्दे मुस्लिम की मदद करेगा ऐसे मौक़अ़ पर जहां उस की हत्के हुरमत (या'नी बे इ़ज़्ज़ती) और आबरू रेज़ी की जा रही हो, **अल्लाह** पाक उस की मदद फ़रमाएगा ऐसे मौक़अ़ पर जहां इसे मह़बूब (या'नी पसन्द) है कि मदद की जाए। (ابوداو،4/355،حدیث:4884)

ग़ीबत करने वाले के सामने ता'रीफ़

हमारे अस्लाफ़ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم किसी से मुसल्मान की **ग़ीबत** सुनते तो उसे फ़ौरन टोकते और उन का अन्दाज़ भी कितना ह़सीन होता ! चुनान्चे **ह़ज़रते** सय्यिदुना **अ़ब्दुल्लाह** बिन मुबारक رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه की मजलिस में एक शख़्स ने सय्यिदुना इमामे आ'ज़म **अबू ह़नीफ़ा** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه की **ग़ीबत** की तो आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ने इर्शाद फ़रमाया : ऐ शख़्स ! तू इमाम के ऐ़ब क्यूं बयान करता है ! उन की शान तो येह थी कि पैंतालीस (45) साल तक एक वुज़ू से **पांचों वक़्त की नमाज़** अदा करते रहे।

(الخیرات الحسان،ص117،ردالمحتار،1/150)

ग़ीबत करने वाले से पीछा छुड़ाने का त़रीक़ा

ऐ आ़शिक़ाने औलिया ! हमारे बुज़ुर्गाने दीन رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم का गुनाहों भरी **ग़ीबत** सुनने से बचने का जज़्बा मरह़बा ! काश ! सद करोड़ काश ! हमारा येह ज़ेह्न बन जाए कि जूं ही किसी मुसल्मान का मन्फ़ी

(NEGATIVE) तज़्किरा निकले फ़ौरन ख़बरदार हो जाइये और ग़ौर कीजिये, अगर वोह तज़्किरा **ग़ीबत** पर मब्नी या **ग़ीबत** की त़रफ़ ले जाने वाला हो तो फ़ौरन उस से बाज़ आ जाइये, अगर कोई और आदमी येह गुफ़्तगू करने लगा हो तो उस को मुनासिब त़रीक़े पर रोक दीजिये, अगर वोह बाज़ न आए तो वहां से उठ जाइये, अगर उसे रोकना या अपना वहां से हटना मुम्किन न हो तो दिल में बुरा जानिये, तरकीब से बात बदल दीजिये उस गुफ़्तगू में दिलचस्पी मत लीजिये, मसलन इधर उधर देखने लग जाइये, मुंह पर बेज़ारी के आसार लाइये, बार बार घड़ी देख कर उक्ताहट का इज़्हार फ़रमाइये, मुम्किन हो तो इस्तिन्जा ख़ाने का कह कर ही उठ जाइये और फिर आप का कहा झूट न हो जाए इस लिये इस्तिन्जा भी कर लीजिये। **''ग़ीबत गाह''** में ह़ाज़िर रहने के बजाए मजबूरन इस्तिन्जा ख़ाने में वक़्त गुज़ारना बहुत मुनासिब अ़मल है اِنْ شَآءَاللّٰه इस पर भी सवाब मिलेगा।

अख़्लाक़ हों अच्छे मेरा किरदार हो सुथरा

मह़बूब का सदक़ा तू मुझे नेक बना दे

(वसाइले बख़्शिश (मुरम्मम), स. 115)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

लुक़्मए ह़राम की नुहूसत

मुकाशफ़तुल क़ुलूब में है : आदमी के पेट में जब लुक़्मए ह़राम पड़ा तो ज़मीनो आस्मान का हर फ़िरिश्ता उस पर ला'नत करेगा जब तक उस के पेट में रहेगा और अगर इसी ह़ालत में (या'नी पेट में ह़राम लुक़्मे की मौजूदगी में) मौत आ गई तो दाख़िले जहन्नम होगा। (مکاشفۃ القلوب، ص10)

978-969-722-167-7
01082182

فیضانِ مدینہ، محلّہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی کراچی
UAN +92 21 111 25 26 92 0313-1139278
www.maktabatulmadinah.com / www.dawateislami.net
feedback@maktabatulmadinah.com / ilmia@dawateislami.net